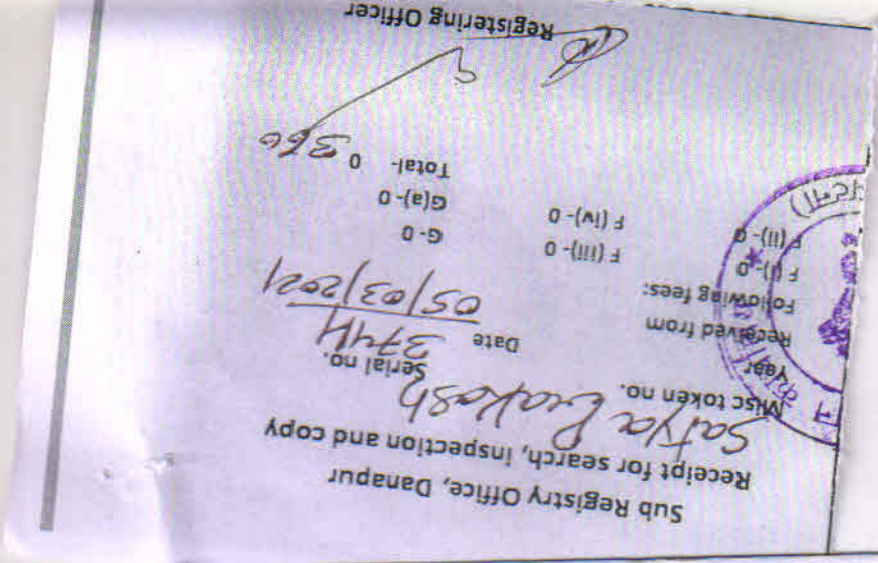


Sub Registry Office,Danapur

Non Encumbrance Certificate

RTPS No.:-
030118283002101280

प्रमाण पत्र सं0 **3744**

चूंकि श्री **Satya Prakash** ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता0 01/01/2005 से ता0 05/03/2021 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय अवर	मौजा जहाँ तक	थाना	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Danapur	Thana No-21	Danapur Sahjadpur	788,829	1017,1018,1020	182.65625 Dec.	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता हैं कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–
नाम –ANIL KUMAR GUPTA
UPPER DIVISION CLERK

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Rekha Choudhary
U.D.C

कार्यालय – **Sub Registry Office, Danapur** तारीख – **07/03/2021**

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पतियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगें।)
2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– .1030 दिनांक:– 07/03/2021
शाखा प्रबंधक State Bank of India के पत्र दिनांक 04/03/2021 के आलोक में प्रेशित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर